राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1162 व 1163/2010/अलवर

मैसर्स अलवर मैन्यूफैक्चिरिंग प्रा.लि.,
ई–168,/169 एम.आई.ए, अलवर।। .....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत्त–अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::
श्री रामकरण सिंह,
अभिभाषक। अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :12.02.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त दोनों अपीलें उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स–प्रथम) अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक्–पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक **22.02.2010 व दिनांक 18.02.2010** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो क्रमशः अपील संख्या 392 /उपा/अपील्स/प्रथम/अल/आर.वैट/2006–07/10 व 18 /उपा/अपील्स/प्रथम/अल/आर.वैट/2007–08/10 के संबंध में है तथा जिनमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त–अलवर (जिसे आगे निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत् निर्धारण वर्ष 2006–07 की प्रथम तिमाही दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 30.06.2006 व द्वितीय तिमाही दिनांक 01.07.206 से दिनांक 30.09.2006 तक के लिये पारित आदेश क्रमशः दिनांक 08.02.2007 व दिनांक 03.04.2007 में कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया गया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के निर्धारण वर्ष 2006–07 की प्रथम तिमाही व द्वितीय तिमाही के निर्धारण आदेश अनंतिम (Provisional) अधिनियम की धारा 24 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 17(2) के तहत् पारित कर, तद्नुसार मांग राशियां कायम की गयी । उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 22.02.2010 व दिनांक 18.02.2010 के जरिये अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की गयी ।

लगातार.....2

जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। पुनः अपीलीय स्तर दिये गये तर्कों को दोहारते हुये कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कैपिटल गुड्स के तहत् क्रय की गयी वस्तुओं पर अधिनियम की धारा 18 के तहत् विधिक रूप से आगत कर का मुजरा चाहा गया था जिसे दोनों अवर अधिकारियों द्वारा अस्वीकार करने में विधिक त्रुटि की गयी है । अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

5. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर कथन किया है कि प्रकरण में आलोच्य अवधि यानि निर्धारण वर्ष 2006–07 का नियमित निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के तहत् दिनांक **30.03.2009** को पारित किया जा चुका है । आदेश की प्रति प्रस्तुत कर, कथन किया कि इस संबंध में माननीय शीर्ष न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में अब किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने योग्य नहीं है, न ही आलोच्य अवधि के लिये नियमित निर्धारण आदेश पारित किये जाने के पश्चात् अनंतिम निर्धारण आदेश में कायम की गयी मांग राशियां वसूली योग्य होना रह गयी है। तद्नुसार, प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है, उक्त को निष्प्रभावी होना प्रकट किया है। अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का प्रस्तुत किया है:–

(i) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् राजस्थान कराधान अधिकरण 124 एस. टी.सी 298 । (राज.)

(ii) मै0 लीलाधर बियानी एण्ड सन्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन, श्रीगंगानगर, 124 एस.टी.सी 294 । (आर.टी.टी.)

(iv) सहायक आयुक्त, पाली बनाम् मै0 महावीर टिम्बर मार्ट, आहोर 18 टैक्स अपडेट 45 । (राज.)

(v) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर बनाम् राजस्थान इण्स्ट्रीज़ 21 टैक्स अपडेट 313 (राज.)

(vi) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् श्रीराम ट्रेडर्स, भीलवाड़ा, रिवीजन पिटीशन संख्या 857/2003 (राज.) तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत

लगातार.....3

विभागीय एस.एल.पी. (सिविल अपील) कमांक 3037/2004 को माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 13.12.2004 के अस्वीकार कर दिया गया है ।

(vii) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत्त–प्रथम, जयपुर बनाम् मैसर्स रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि. जयपुर 14 टैक्स अपडेट 173 ।(आर.टी.बी.)

(viii) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत्त–प्रथम, जयपुर बनाम् मैसर्स नेस्ले इण्डिया लि. वी.के.आई. एरिया, जयपुर 12 टैक्स अपडेट 217 । (आर.टी.बी.)

6. गुणावगुण पर अपीलीय अधिकारी के निष्कर्षों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करने की प्रार्थना की गयी । उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में गुणावगुण के अन्य बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् न्यायालयों के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया । अध्ययन करने के पश्चात्, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि चूंकि नियमित कर निर्धारण आदेश निर्धारण वर्ष 2006–07 का अधिनियम की धारा 24 के तहत् दिनांक **30.03.2009** को पारित किया जा चुका है तथा ऊपर उद्धरित मै0 श्रीराम ट्रेडर्स, भीलवाड़ा के प्रकरण में उक्त अधिकार सुरक्षित रखा गया था, परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व शीर्ष न्यायालय ने उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया है । अतः अब इस संबंध में मांग राशियां, जो अनंतिम निर्धारण आदेशों के जरिये वसूली योग्य होना कायम की गयी थी, वसूली योग्य होना, नहीं रह गयी है । लिहाजा, अधिनियम की धारा 24 के तहत् आदेश पारित हो जाने के कारण प्रस्तुत अपीलें चलने योग्य नहीं है क्योंकि अनंतिम निर्धारण आदेश का अस्तित्व समाप्त हो गया है ।

8. परिणामतः, अपीलें अस्वीकार की जाती है ।

9. निर्णय सुनाया गया ।

12.2.2014

(मदन लाल)
सदस्य